न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :–सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः–103/2024

प्रार्थीः:–

डूंगरराम पुत्र अचलाराम जाति भील निवासी कुम्पावस तहसील समदड़ी जिला बालोतरा

–::बनाम::–

विप्रार्थीगणः:–

1. उदाराम पुत्र नरसाराम जाति भील निवासी हेमावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. खीमाराम पुत्र नरसाराम जाति भील निवासी हेमावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. नाबालिग जनता पुत्री धनाराम सरंक्षक माता पांचकी देवी जाति भील निवासी हेमावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. नाबालिग जोगाराम पुत्र धनाराम सरंक्षक माता पांचकी देवी जाति भील निवासी हेमावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा
5. तुलछाराम पुत्र नरसाराम जाति भील निवासी हेमावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा
6. निम्बाराम पुत्र नरसाराम जाति भील निवासी हेमावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा
7. पांचकीदेवी पत्नी नरसाराम जाति भील निवासी हेमावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा
8. फूली पत्नी चन्दाराम जाति भील निवासी हेमावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा
9. बदाराम पुत्र धनाराम जाति भील निवासी हेमावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा
10. भभूताराम पुत्र चन्दाराम जाति भील निवासी हेमावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा
11. माधाराम पुत्र राजाराम जाति भील निवासी हेमावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा
12. बीजाराम पुत्र नरसाराम जाति भील निवासी हेमावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा
13. सोमताराम पुत्र धनाराम जाति भील निवासी हेमावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा
14. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मोकलसर
15. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.07 12:42:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—1. श्री नेहपालसिंह वकील प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

:: आदेश::

दिनांकः— 08-01-2026

प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र विप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.सं. 337/217 रकबा 3.0350 हैक्टेयर ग्राम हेमावास तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त खसरे की उत्तर सीमा से लगती विप्रार्थी सं. 1 से 13 की खातेदारी भूमि ख.स. 133 रकबा 2.2005 के पूर्वी सेढा—सेढा होकर कटाण रास्ता रमणियां से पादरू जाने वाली सडक से मिलता है। प्रार्थी को अपने खेत से आवागमन हेतु, आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शित बिन्दू संख्या अ से ब विप्रार्थी सं. 1 से 13 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थी बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाते ले जाते है। विप्रार्थी संख्या 1 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थीगण के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थी ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 से 13 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई।

विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी सं. 1 से 13 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.07 12:42:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी के खातेदारी खेत 337/217 रकबा 3.0350 हैक्टेयर के उत्तर सीमा में स्थित विप्रार्थी संख्या 1 से के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 133 में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में बरंग गुलाबी से दर्शाए गया रास्ता ही एक मात्र इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थी का परिवार आवागमन करता आ रहा है, उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थी के खसरा संख्या 337/217 (सर्वे पश्चात नवीन खसरा 325) रकबा 3.0357 हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 13 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 133 सर्वे पश्चात नवीन खसरा संख्या 330 में से 65 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल क्षेत्रफल 260 वर्गमीटर अर्थात 0.0260 हैक्टयर भूमि तहसीलदरार सिवाना के रिपोर्ट के संलग्न बरंग गुलाबी में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। प्रार्थी रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी संख्या 1 से 13 को देने हेतु सहमत है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के खातेदारी ग्राम हेमावास के खसरा संख्या 337/217 (सर्वे पश्चात नवीन खसरा संख्या 325) रकबा 3.0357 हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 13 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 133 (सर्वे पश्चात नवीन खसरा संख्या 330) में से 65 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल क्षेत्रफल 0.0260 वर्गमीटर अर्थात 0.0260 हैक्टयर मे से चाहा गया रास्ता ही सुविधाजनक ,निकटतम एवं एक मात्र इकलौता रास्ता बताया है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि अत्य[illegible] को विप्रार्थी संख्या 1 से 13 के खसरा संख्या 330 में से रास्ता दिलाये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 13 खातेदारी भूमि में में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.07 12:42:49 IST
Reason: SelfAttested

रास्ते हेतु 330 में से 65 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल क्षेत्रफल 0.0260 वर्गमीटर अर्थात 0.0260 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम हेमावास तहसील सिवाना की खसरा संख्या 325 रकबा 3.0357 हैक्टेयर भूमि में आवगमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 13 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 330 में से 65 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल क्षेत्रफल 0.0260 वर्गमीटर अर्थात 0.0260 हैक्टयर भूमि में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग गुलाबी सी. बी. ए. से दर्शित भूमि, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रूप में रास्ते हेतु प्रभावित रकबे की गणना के पश्चात डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सिवाना को माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र कमांक–राजस्व/2026/19 दिनांक 05.01.2026 को प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 08-01-2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.07 12:42:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

परिशिष्ट 'अ'

NIC-BHUNAKSHA

दिनांक : 31/12/2025 02:56:51 PM

: बालोतरा | तहसील : सिवाना | भू. अ. नि. क्षेत्र : पादरू

हल्का : सैला | ग्राम : हेमावास

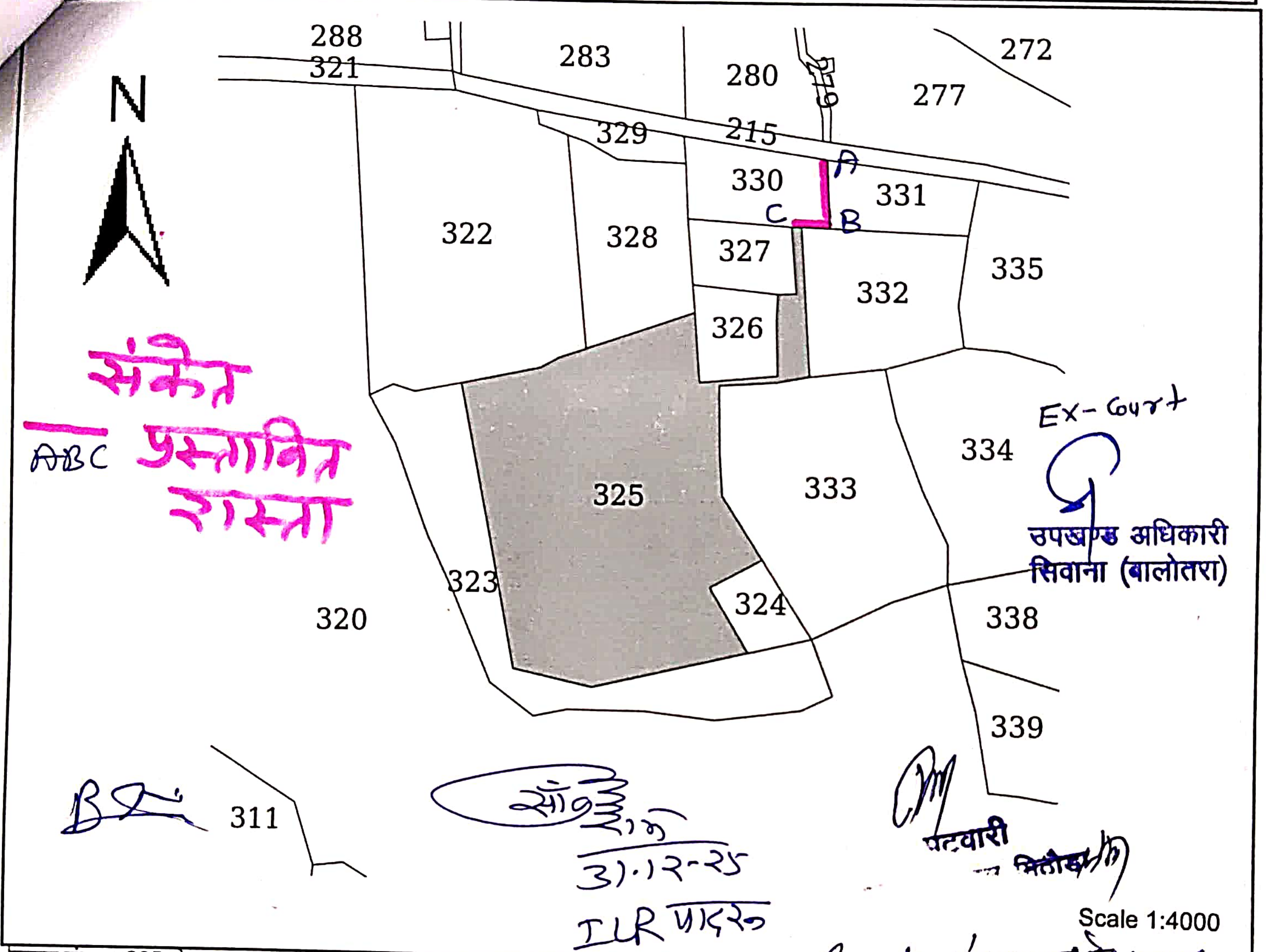

खसरा संख्या :325 क्षेत्रफल : 3.0357 Hectare खाता संख्या : 89पुराना खाता संख्या :153

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी [3.0357, 6.07]

1.) डूगरराम पुत्र अचलाराम हिस्सा- पूर्ण जाति- भील सा. कुम्पावास तहसील समदड़ी खातेदार

पटवारी

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

पटवार मण्डल सैला

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित तहसील कार्यालय से सम्पर्क करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh

Date: 2026.05.07 12:42:49 IST
Reason: SelfAttested